महगांई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में पारित

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या–10/2023
2. दायर दिनांक– 26.05.2023
3. निर्णय दिनांक– 26.05.2023

उनवानी–

1. श्योजी राम जाट पुत्र रामकरण जाट जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़

......प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति–: 1. श्री श्योजी राम जाट

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री श्योजी राम जाट ने प्रशासन गांवो के संग अभियान/महंगाई राहत अभियान 2023 कैम्प कोर्ट सुरसुरा में उपस्थित होकर ग्राम सुरसुरा स्थित अपने स्वत्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 304 के ख0न0 2239/461, 447 कुल रकबा 1.6988 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने तहसीलदार रूपनगढ़ के आदेश से हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया जिसकी नकले प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रार्थना पत्र की जांच हेतु भेजा गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सीमाकंन पूर्व में किया जा चुका है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पत्थरगढ़ी पुलिस जाब्ते व सुरक्षा में किया जाना संभव है।

हमने प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खसरा नम्बरान से लगवा अन्य पड़ौसी खातेदारान की भूमि की नींव सींव को लेकर विवाद होते रहते है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 304 के ख0न0 2239/461, 447 कुल रकबा 1.6988 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:55:02 IST
Reason: SelfAttested

26.5.23

सुखाराम पिण्डेल

(आर.ए.एस.)

शिविर प्रभारी

प्रशासन गांवो के संग

एवं महंगाई राहत अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner